महत्वपूर्ण

संख्या– 95 /9–2–2015–01एल0ए0/14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

नगर विकास अनुभाग–2, लखनऊ:दिनांक– 19 जनवरी, 2015

विषयः– जनपद मथुरा में गोकुल बैराज डूब क्षेत्र परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक–1826/आठ–वि0भू0अ0 अ0/सं0सं0/मथुरा/2014, दिनांक– 05.11.14 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– जनपद–मथुरा में गोकुल बैराज डूब क्षेत्र परियोजना हेतु 08 राजस्व ग्रामों के लिए धारा–4(1)/17 की अधिसूचनायें निर्गत की गयी थी। तदुपरान्त 05 राजस्व ग्रामो की धारा 6(1)/17 की अधिसूचनायें भी निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हे0)	धारा–4(1)/17 की अधिसूचना की तिथि	धारा–6 (1)/17 की अधिसूचना की तिथि
1	मुर्शिदपुर बांगर	1.122	16.12.2013	02.12.2014
2	मुहाल मुर्शिदपुर खादर	6.693	20.12.2013	02.12.2014
3	मुबारिकपुर बांगर	2.119	20.12.2013	02.12.2014
4	मुबारिकपुर खादर	3.644	26.12.2013	02.12.2014
5	मथुरा खादर	3.610	31.12.2013	08.12.2014
		कुल क्षे. –17.188 हे0		

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013(अधिनियम संख्या–30 सन् 2013) दिनांक–01.1.14 से पूरे देश में लागू हो गया है, अतः दिनांक– 01.1.14 के बाद निर्गत

धारा–4(1)/17 की अधिसूचना विधि के अनुरूप एवं औचित्यपूर्ण न होने के कारण निम्नलिखित 03 राजस्व ग्रामों की धारा–6(1)/17 की अधिसूचना निर्गत नहीं की जा सकी है:–

कमांक	राजस्व ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हे0)	धारा–4(1)/17 की अधिसूचना की तिथि	धारा–6 (1)/17 की अधिसूचना की तिथि
1	माधोपुर खादर	94.521	29.01.2014	—
2	रावल खादर	16.598	29.01.2014	—
3	मई मिर्जापुर उर्फ दामोदरपुरा खादर	120.567	17.01.2014	—
		कुल क्षेत्रफल– 231.686 हे0		

3– अतः सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन राजस्व ग्रामों की डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि के अधिग्रहण की अन्तिम अधिसूचना निर्गत नही की जा सकी है, जनहित के दृष्टिगत उन भूमियों को सीधे किसानों से कय किये जाने हेतु शासन को कोई आपत्ति नही है तथा जिन 05 राजस्व ग्रामों के भूमि अधिग्रहण की अन्तिम अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है, कृपया उनके प्रतिकर का नियमानुसार भुगतान किया जाये।

भवदीय,

16/01/2015

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।